न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।
जी0आर0सं0 :—34 / 2022
हसपुरा थाना कांड संख्या :—08 / 2022

20.09.2022 काराधीन अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है। सूचिका / जख्मी की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ संधि हेतु अनुमति आवेदन एवं उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है । सूचिका की ओर से एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है । आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नही है । आवेदक दिनांक—17.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है । सूचक की ओर से आवेदक को उक्त मुकदमा में झूठा फंसाया गया है । आवेदक के विरूद्ध दर्ज धाराओं में धारा 379 एवं 307 भा0दं0सं0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा उक्त धारा वाद को अजमानतीय बनाने हेतु लगाया गया है । आवेदक के विरूद्ध सीधा आरोप नही है । जख्मी का जख्म साधारण प्रकृति का है । उभय पक्ष के बीच सुलह हो गया है तथा आज उक्त जमानत आवेदन के साथ उभय पक्ष की ओर से संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

सूचिका के विद्वान अधिवक्ता जमानत का विरोध नहीं करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध धारा 147, 149, 341, 323, 307, 504, 506 एवं 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । सूचक / जख्मी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन करते है कि उभय पक्ष के बीच सुलह हो गई है । अब किसी प्रकार का विवाद नही है । सूचिका / जख्मी ने यह भी कथन किया है कि जख्म साधारण प्रकृति का था, जो गिरने से हुआ था । सूचिका की ओर से एक शपथ पत्र इस आशय का दाखिल किया गया है किउसका एवं उसके पति तथा पुत्र का जख्म साधारण प्रकृति का है तथा उसे जमानत प्रदान करने में कोई आपत्ति नही है । उपरोक्त धाराओं में धारा 307 भा0दं0सं0 को छोड.कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है तथा जहॉ तक उक्त धारा का सम्बन्ध है तो सूचिका एवं जख्मी के कथनानुसार उक्त धारा इस चरण में अलंकृत प्रतीत होता है जबकि जहॉ तक धारा 379 भा0दं0सं0 को सम्बन्ध है तो उक्त धारा सुलहनीय प्रकृति का है । आवेदक दिनांक—17.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं संधि के तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक / अभियुक्त को मो0—15000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

प्र0 न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।